न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 17 / 2018

प्रार्थीः–
1. महेन्द्र पुत्र ढगलाराम जाति मेघवाल
2. यासीन शाह पुत्र करीम शाह जाति मुसलमान निवासीगण बर तहसील रायपुर

बनाम

अप्रार्थीगणः–
1. सरपंच ग्राम पंचायत बर तहसील रायपुर
2. नारायणलाल पुत्र नेनाराम जाति माली निवासी बर तहसील रायपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री कैलाश मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07/08/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बर द्वारा मिसल संख्या ..../....., संकल्प संख्या .... दिनांक ..... की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 21.03.1987 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य एवं गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर जैर निगरानी पट्टा अपने नाम से जारी करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का रहवासी मकान ग्राम बर में कानावतों के बास में मुख्य बाजार के पास आधा हुआ स्थित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष स्वयं को भूमिहीन बताते हुए तत्कालीन सरपंच से जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किया है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है, जिसका वे उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अब अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण को जैर निगरानी पट्टे की आड में भूखण्ड से बेदखल करने पर आमादा है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व न तो मिसल कायम की गई तथा न ही विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई। बिना विधिक प्रावधानों की पालना किए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 2009 (1) पेज 262, डी0एन0जे0 (राज.) 2015 (2) पेज 595, डी0एन0जे0 (राज.) 2009 (2) पेज 982 तथा डी0एन0जे0 (राज.) 2016 (3) पेज 1202 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी बतौर मालिक काबिज है, जहां पर अप्रार्थी द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाया गया है तथा अप्रार्थी को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में इन्ही तथ्यों के आधार पर श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो निर्णित हो चुकी है। चूंकि एक बार विवादित बिन्दु का निर्णय हो चुका है, तो उसी बिन्दु पर पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस कारण निगरानी रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1905 की धारा 5 के अनुसार विशिष्ठ रूप से बनाए गए कानून से कोई प्रावधान लागू नहीं हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता लागू रहती है। चूंकि पूर्व में निगरानी पेश की जा चुकी थी, उसी कॉज ऑफ एक्शन पर तथा पूर्व के तथ्यों के आधार पर द्वितीय निगरानी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं है। पूर्व में प्रस्तुत निगरानी में जैर निगरानी भूमि को रास्ते की होना बताया था तथा अब प्रार्थीगण का कमरा एवं मकान बताते है, उक्त भूमि पर बना मकान अप्रार्थी संख्या 2 का है, जिससे प्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी हुए 21 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा मियाद के बिन्दु के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां मियाद निर्धारित नहीं है, वहां युक्तियुक्त समय 3 वर्ष के भीतर निगरानी पेश किया जाना लाज़मी है। निगरानीकर्ता के कथनानुसार पडौस के मकानात् अर्सेदराज़ पूर्व से नियमित व कायम है, तो पूर्व में निगरानी पूर्व में पेश नहीं करने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है, जो हस्तगत निगरानी को आधारहीन बनाता है। वर्ष 1987 में ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर तथा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 के अलग से पट्टा बने होने का प्रश्न है, तो यह आवश्यक नहीं है कि रहवास एवं पुराने कब्जे के आधार पर यदि दो पट्टे अलग अलग कायम किए गए हो तो वे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये जा सकते, ऐसा प्रावधान पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। निगरानीकर्ता का जैर निगरानी भूमि व मकान में कोई हक हकूक नहीं है एवं ना ही कोई दस्तावेज सबूत पेश किए है। अप्रार्थी संख्या 2 एवं अधिवक्ता भागीरथ तेली के मध्य नीजि विवाद है, जिसको लेकर यह निगरानी पेश की है। जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत बर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 21.03.1987 के विरूद्ध पेश की है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पंचायत की बैठक दिनांक 10.03.1987 के पश्चात अगली बैठक दिनांक 22.01.1988 को होना पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोरम द्वारा न तो कोई प्रस्ताव लिया गया तथा न ही स्वीकृति प्रदान की गई।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के

अति० जिला कलेक्टर, पाली

तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 को भूखण्ड का आवंटन नियम 267 (2) (क) के तहत जारी किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि पंचायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछडी जातियों, ग्रामीण शिल्पियों और भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास स्वयं के गृह–स्थल/गृह नहीं है तथा उन बाढ़ पिडितों को भी जिनके गृह बह गए है अथवा गृह स्थल बाढ के कारण से भविष्य में बसने योग्य नहीं है, 150 वर्गगज तक आबादी भूमि गांव की आबादी में मुफ्त आवंटित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.01.1985 को नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है। इसके अस्तित्व में होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को नियम 267 (2) (क) के तहत पट्टा जारी किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 उक्त नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं था। वकील अप्रार्थी का यह कथन रहा कि "अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी हुए 21 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा मियाद के बिन्दु के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां मियाद निर्धारित नहीं है, वहां युक्तियुक्त समय 3 वर्ष के भीतर निगरानी पेश किया जाना लाज़मी है। निगरानीकर्ता के कथनानुसार पडौस के मकानात् अर्सेदराज़ पूर्व से नियमित व कायम है, तो पूर्व में निगरानी पूर्व में पेश नहीं करने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है, जो हस्तगत निगरानी को आधारहीन बनाता है।" इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.) 2015(2) पेज 595 राजू चीता बनाम जिला कलक्टर भीलवाडा में यह अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994- Sec. 97 - Rivision after 17 years of issuing patta - Allotment of the land belonging to local authority or government obtained without lawful entitlement by playing fraud is void ab initio and no limitation should come in the way" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होता है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 नियम 267 (2)(क) के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र ही नहीं था, इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आवंटन आरम्भ से ही शून्य प्रभावी पाया जाता है तथा इसे अपास्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत करने में मियाद किसी भी रूप में बाधित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, बर द्वारा मिसल संख्या ..../....., संकल्प संख्या .... दिनांक ..... की पालना में अप्रार्थी संख्या 2

अति० जिला कलेक्टर, पाली

के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 21.03.1987 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 07/08/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली